न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर केम्प भोपाल

(30)

PBR/ निगरानी/भोपाल/भू.रा/2018/2081 रिवीजन कमांक............

1– शफीक खान आयु 40 वर्ष

2– रफीक खानं आयु 37 वर्ष

3– आविद आयु 35 वर्ष

4– साजिद आयु 33 वर्ष

पिता इज्जत अली ,

निवासी ग्राम पिपलिया हसनावाद

तहसील बैरसिया जिला भोपाल ------ आवेदकगण

विरूद्ध

1– सन्तोष कुमार आयु 40 वर्ष पिता

सुखलाल सर्राफ जाति सोनी निवासी

मेनरोड बैरसिया तहसील बैरसिया

जिला भोपाल म0प्र0

2– अमानत आयु 28 वर्ष पुत्र वशीर खांन

निवासी पिपलिया हसनावाद तहसील

बैरसिया जिला भोपाल म0प्र0 ------ अनावेदकगण

रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

उपरोक्त आवेदकगण राजस्व प्र0क्रं0 6अ 70/2009–10 संतोष कुमार वि0 शफीक खांन व अन्य मे श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील बैरसिया जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08/03/2018 से दुखी होकर यह रिवीजन प्रस्तुत कर रहे है:–

मान्यवर महोदय

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी /भोपाल/भूरा/18/2081

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-4-18	आवेदक अधिवक्ता श्री अब्दुल हनीफ द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार तहसील बैरसिया जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 8-3-2018 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार आवेदक को लिखित तर्क पेश करने के कई अवसर दिये जाने के बाद भी आवेदक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं करने के कारण आवेदक का लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया जाकर प्रकरण आदेश हेतु नियत किया गया है तथा आवेदक के अनुरोध पर प्रकरण में तिथि दो दिन आगे भी बढाई है । स्पष्ट है कि तहसीलदार की कार्यवाही में प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राहय की जाती है। अध्यक्ष	